रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2002/चैत्र 14, 1924
No. 330] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2002/CHAITRA 14, 1924

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2002

का.आ. 384(अ).— कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कयर बोर्ड द्वारा बनाये गये निम्नलिखित कयर बोर्ड कर्मचारी (आचरण) उप विधि, 1968, उप विधियों में और आगे संशोधन करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि करके उक्त अधिनियम की धारा 27 की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है, अर्थात्,—

1. (1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम कयर बोर्ड कर्मचारी (आचरण) संशोधन उप विधि, 2002 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. कयर बोर्ड कर्मचारी (आचरण) उप विधि 1968 में उप विधि 3, के पश्चात निम्नलिखित उप विधि शामिल हैं, नामत:

   "**उक. कामगार महिला के यौन उत्पीड़न पर रोक** :—(1) कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न कृत्य में कोई कर्मचारी लिप्त नहीं होगा।

   (2) कोई भी कर्मचारी अथवा व्यक्ति जो कार्य स्थल का प्रभारी है, ऐसे कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये यथोचित कदम उठायेगा अथवा निवारण करेगा।

स्पष्टीकरण :— इस उप विधि के प्रयोजनार्थ "यौन शोषण" के ऐसा अशोभनीय यौन निर्धारित व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा अन्यथा जैसे:—

(क) शारीरिक संसर्ग तथा आगे बढ़ना,

(ख) यौनाचार के प्रति मांग या अनुरोध करना,

(ग) यौनाचार युक्त फब्तियां कसना,

(घ) अश्लीलता प्रदर्शित करना, या

(ङ) यौन प्रवृति के किसी अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर-मौखिक आचरण।"।

[फा. सं. 6(7)/2000-कयर]

शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मुख्य उप विधि दिनांक 15 मई, 1968 के सं. का.आ. 1781 द्वारा प्रकाशित हुई थी तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

(1) दिनांक 1 सितम्बर, 1976, का. आ. 3491

(2) दिनांक 12 जुलाई, 1985, का. आ. 3660

(3) दिनांक 5 जुलाई, 1989, का. आ. 527(अ)

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2002

S.O. 384(E).—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), the following bye-laws made by the Coir Board further to amend the Coir Board Employees (Conduct) Bye Laws, 1968, and confirmed by the Central Government, are hereby publiched, as required by sub-section (2) of section 27 of the said Act, namely :—

1. (1) These Bye-Laws may be called the Coir Board Employees (Conduct) Amendment Bye-laws, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Coir Board Employees (Conduct) Bye-Laws, 1968, after bye-law 3, the following bye-law shall be inserted, namely :—

"3A. Prohibition of sexual harassment of working women :- - (1) No employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place

(2) Every employee or person who is incharge of a work place shall take appropriate steps to prevent or deter the sexual harassment to any woman at such work place.

Explanation :— For the purposes of this bye-law, "sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour whether directly or otherwise as :—

(a) physical contact and advances;

(b) a demand or request for sexual favour;

(c) sexually coloured remarks;

(d) showing pornography; or

(e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.".

[F. No 6(7)/2000-Coir]

SHANKAR AGGARWAL, Jt. Secy.

Footnote :— The principal bye-laws were published vide number S.O. 1781, dated the 15th May, 1968, and subsequently amended vide number :—

(1) S.O. 3491, dated 1st September, 1976

(2) S.O. 3660, dated 12th July, 1985

(3) S.O 527(E), dated 5th July, 1989

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.